आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–एफ 23(79)लेखा/आकाशि/सम्पर्क पोर्टल/छात्रवृत्ति/2024–25/11033 दिनांक :– 20.05.2024

समस्त प्राचार्य, सहायक निदेशक (सम्भाग स्तरीय),
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

परिपत्र

विषय :– कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आदिनांक तक दर्शायी जा रही परिवेदनाओं का समयबद्ध निस्तारण बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, जनजाति/सहरिया छात्र–छात्राओं हेतु आर्थिक सहायता योजना में समय–समय पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है जिसमें विद्यार्थियों/अभिभावकों द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर निम्नांकित शिकायतें प्राप्त होती है :–

1. महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों द्वारा अनावश्यक आक्षेप (यथा आय प्रमाण पत्र में तिथि अंकित न होना, आवेदन की हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा कराना, दस्तावेजों की केवल मूल प्रति स्कैन कर लगाना इत्यादि) लगाकर आवेदन को पुनः विद्यार्थी के स्तर पर प्रेषण करना।
2. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति हस्तान्तरण की प्रक्रिया के मध्य जन–आधार तथा अपने बैंक खाते में संशोधन कराने के फलस्वरूप पे–मैनेजर पर उक्त विद्यार्थियों का डेटा हस्तान्तरण नहीं होता जिससे छात्रवृत्ति राशि हस्तान्तरण में समस्या आती है। इस प्रक्रिया में संबंधित आवेदक द्वारा अपने जन–आधार में Account no./IFSC Code को अपडेट नहीं करने के कारण छात्रवृत्ति हस्तान्तरण की समस्या बनी रहती है।
3. आवेदक/प्रार्थिया द्वारा स्कूटी योजनाओं की विभाग द्वारा जारी की गई कट ऑफ देखे बिना अथवा कट ऑफ से अपेक्षाकृत कम प्राप्तांक आने पर भी स्कूटी नहीं मिलने संबंधी शिकायत पोर्टल पर दर्ज करवायी जाती है। उक्त शिकायतों का निस्तारण L–1 (महाविद्यालय) एवं L–2 (संभाग स्तरीय सहायक निदेशक) स्तर पर नहीं करके L–3 (संयुक्त निदेशक–छात्रवृत्ति) के स्तर पर हस्तान्तरित की जाती है।
4. विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति हस्तान्तरण के उपरान्त भी शिकायत प्राप्त होती है तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं अन्य विभागों से संबंधित शिकायते भी कॉलेज शिक्षा के सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कराई जाती है। जिसका निस्तारण L–1 एवं L–2 स्तर पर नहीं करके L–3 के स्तर पर हस्तान्तरित की जाती है, जिससे अनावश्यक शिकायतें L–3 स्तर पर बढती रहती है।

कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के सम्पर्क पोर्टल के L–1 एवं L–2 स्तर पर प्राप्त शिकायतों का समयावधि में निस्तारण करते हुए प्रार्थी/प्रार्थिया को दूरभाष पर निस्तारित समाधान से अवगत करवा कर संतुष्ट करने का उचित प्रबंधन करे, ताकि शिकायतों की पुनरावृत्ति ना हो। यदि किसी शिकायत का आपके स्तर पर समाधान हो सकता है तथा ऐसी शिकायत समायवधि पश्चात् अग्रेषित होकर आयुक्तालय को प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया जावेगा।

(कुन्तल विश्नोई)
संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–एफ 23(79)लेखा/आकाशि/सम्पर्क पोर्टल/छात्रवृत्ति/2024–25/11034 – 35 दिनांक :– 20.05.2024

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त निदेशक(प्रशासन), कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के यू. ओ. नोट क्रमांकः एफ.1 ( ) प्रशा. /आकाशि/सम्पर्क पोर्टल/2024 दिनांक 07.05.2024 (राजकाज रेफरेंस नं. 6973449)।
2. प्रभारी वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

संयुक्त निदेशक

RajKaj Ref
7326673

Signature valid
Digitally signed by Kuntal Vishnoi
Designation: Joint Director
Date: 2024.05.20 ..:22:06 IST
Reason: Approved